

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां
No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद विधि द्वारा तय करे, निम्नलिखित के लिए गारंटियां दे सकती है। सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं आदि की ओर से (i) उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी, (iii) उधार आदि के आधार पर सामग्री तथा उपस्कर की पूर्ति के लिए करारों के संबंध में अदायगी के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार यहां इस विवरण में दर्शाया गया है। ये गारंटियां भारत की समेकित निधि की आकस्मिक देयताएं होती हैं।

Under article 292 of the Constitution, the Union Government may give guarantees within such limits, if any, as may be fixed by Parliament by law. The statement here shows the position, as on 31st March, 2025 of guarantees given by the Union Government for (i) repayment of borrowings and payment of interest thereon, (ii) repayment of share capital and payment of minimum dividend, (iii) payment against agreements for supplies of materials and equipment on credit basis, etc., on behalf of Government companies/corporations, Railways, Union Territories, State Governments, local bodies, joint stock companies, co-operative institutions etc. These guarantees constitute a contingent liability on the Consolidated Fund of India.

गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किए हैं और 31 मार्च, 2025 को गारंटीकृत बकाया राशियां क्रमशः लगभग ₹374432.10 करोड़ और ₹333454.63 करोड़ थीं। The maximum amount of guarantee for which Government have entered into agreements, and sums guaranteed outstanding on 31st March, 2025 were ₹374432.10 crores and ₹333454.63 crores approximately, respectively.

गारंटियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मंत्रालय/विभागवार विवरण नीचे दिए गए हैं:—

The Ministry/Department-wise details under different categories of guarantees are given below:—

(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

(i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी
No. 4—GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details		
1	2	3	4	5	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	11	
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE कृषि और किसान कल्याण विभाग Department of Agriculture and Farmers Welfare	48500.00 (4)	40500.00 (3)	8000.00 (1)	3500.00 (2)	—	—	45000.00 (2)	@—	@—	—
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE वित्तीय सेवाएँ विभाग Department of Financial Services	11614.18 (11)	10835.42 (11)	778.76	8157.23 (9)	—	—	3456.95 (2)	61.67	* 59.96	—

(करोड़ रुपए में)
(In crore of rupees)

उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	6000.00 (1)	6000.00 (1)	—	—	—	—	6000.00 (1)	**—	**—	—
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)	1381.00 (1)	1381.00 (1)	—	—	—	—	1381.00 (1)	8.29	8.29	—
वाणिज्य विभाग DEPARTMENT OF COMMERCE	556.29 (1)	556.29 (1)	—	556.29 (1)	—	—	—	5.56	5.56	—
रसायन और उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS औषध विभाग Department of Pharmaceuticals	39.00 (1)	39.00 (1)	—	^39.00 (1)	—	—	—	100.56	\$—	—

- @ वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग बजट प्रभाग ने गारंटी शुल्क को माफ कर दिया है।
- @ Guarantee Fee has been waived off by the Department of Economic Affairs, Budget Division, Ministry of Finance.
- * आईआईएफसीएल की सहायक कंपनी आईआईएफसी (यूके) के संबंध में गारंटी शुल्क की प्राप्तियों के लिए विनिमय दर में बदलाव के कारण।
- * Due to exchange rate variation towards receipts of Guarantee Fees in respect of IIFC(UK) subsidiary of IIFCL.
- ** उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अपने दिनांक 16.04.2004 के पत्र सं. फा.सं. 22011/1/2017-एफ सी.-11/111 क द्वारा 01.04.2024 से 31.03.2025 तक आहरण खाद्य क्रेडिट के लिए ₹6000 करोड़ की नकद क्रेडिट सीमा प्राप्त करने के लिए एफसीआई के हित में एकल डिफाल्ट सरकारी गारंटी का विस्तार के बारे में सूचित किया है।
- ** Ministry of CAF&D vide its letter No. F.No. 22011/1/12017-FC-II/III dated 16.04.2024 has conveyed, "Extension of the single default Government Guarantee in favour of FCI for availing cash credit limit of ₹6,000 crore for food credit drawn from 01.04.2024 to 31.03.2025.
- ^ वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14.11.2023 के माध्यम से ₹39 करोड़ के बकाया ऋण के एकबारगी निपटान को मंजूरी दे दी है। निपटान राशि का भुगतान एलआईसी को वित्त वर्ष 2024-25 में किया गया है।
- ^ One time settlement (OTS) of outstanding loan for ₹39 crore has been approved by the Ministry of Finance, Department of Expenditure vide OM dt. 14.11.2023. The settlement amount has been paid to LIC in the FY 2024-25.
- \$ ₹100.56 करोड़ का गारंटी शुल्क भारतीय ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लि. से संबंधित है निधियों की कमी के कारण भुगतान नहीं किया जा सका।
- \$ Guarantee Fee amounting to ₹100.56 crore is pertaining to Indian Drugs Pharmaceuticals Ltd. could not be paid due to shortage of funds.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी
No. 4—GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे	
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year		Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details	
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										(करोड़ रुपए में) (In crore of rupees)

- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्दायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / ऋणों, डिबेंचरों की पुनर्दायगी के लिए दी गई गारंटियां :—
- (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

वित्त मंत्रालय
 MINISTRY OF FINANCE
 वित्तीय सेवाएँ विभाग
 Department of Financial Services

20038.56	5116.36	14922.20	—	—	—	20038.56	22.61	^22.66	—
(24)	(11)	(13)				(24)			

										एसएलआर बांड
विद्युत मंत्रालय										
MINISTRY OF POWER	7000.00	7000.00	—	1320.00	—	—	5680.00	70.00	70.00	SLR Bond
	(2)	(2)					(2)			
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय										
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	36700.00	36700.00	—	—	—	—	36700.00	**—	**—	—
	(5)	(5)					(5)			
संचार मंत्रालय										
MINISTRY OF COMMUNICATIONS										
दूरसंचार विभाग										
Department of Telecommunications	45671.20	42483.66	3187.54	5705.29	1151.22	—	38814.69	391.33	*169.76	—
	(10)	(10)		(3)			(7)			

- ^ ₹22.66 करोड़ का गारंटी शुल्क प्राप्त हुआ था। ₹0.05 करोड़ की ज्यादा प्राप्ति वित्त वर्ष 2024-25 में प्राप्तियों का लेखा-जोखा किए जाने के कारण हुई, जो वित्त वर्ष 2023-24 में एनटीआर पोर्टल में लंबित था।
- ^ Guarantee Fee of ₹ 22.66 crore was received. The more receipts of ₹ 0.05 crore is due to accounting of receipts in FY 2024-25 which was pending at NTR portal in FY 2023-24.
- ** उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दिनांक 25.04.2008 के पत्र सं. 5-5/2006-एफसी-II द्वारा सरकार द्वारा निष्पादित एकल डिफाल्ट गारंटी के लिए एफसीआई द्वारा देय गारंटी शुल्क की छूट के संबंध में सूचित किया है।
- ** The Ministry of CAF&PD vide letter No. 5-5/2006-Fc-II dated: 25.04.2008 regarding exemption of Guarantee Fee payable by the FCI towards single default Guarantee executed by the Government.
- * ₹391.33 करोड़ की प्राप्य राशि में से एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा क्रमशः ₹106.03 करोड़ और ₹115.54 करोड़ जमा नहीं कराए गए थे।
- * Out of ₹ 391.33 crore receivable, ₹ 106.03 crore and ₹ 115.54 crore were not deposited by MTNL and BSNL respectively.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी
No. 4—GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे	
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details	
1	2	3	4	5	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	11
									(करोड़ रुपए में) (In crore of rupees)

- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियाँ :-
- (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc : -

नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION	15650.49 (4)	15426.66 (4)	223.83	—	—	—	15650.49 (4)	1.98	1.98	—
कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL	560.19 (3)	547.36 (3)	*12.83	*37.12	—	—	523.07 (3)	4.67	4.67	—

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	36269.97 (38)	33813.95 #(38)	2456.02	4080.44	—	—	32189.53 (38)	408.53	^^408.53	—
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE										
आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	14795.03 (5)	13405.15 (4)	1389.88 (1)	23.63	—	—	14771.40 (5)	72.25	^^^5.75	—
वित्तीय सेवाएं विभाग Department of Financial Services	82484.53 (310)	73951.33 (268)	8533.20 (42)	7295.61 (37)	3919.25	—	71269.67 (273)	82.94	^85.33	—
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES NATIONAL SMALL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED (NSIC)	46.84 (3)	45.36 (3)	1.48	3.48	—	—	43.36 (3)	0.17	0.17	—

* विदेशी विनिमय दर में बदलाव/उतार-चढ़ाव के कारण।

* Due to variation/fluctuation in foreign exchange rate.

वर्ष 2023-24 के दौरान गारंटियों की संख्या का अंत शेष गलती से 38 की बजाए 41 दर्शाया गया था।

The closing balance of number of guarantee was shown 41 instead of 38 inadvertently during 2023-24.

^^ एनएसआईसी से वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित ₹0.38 करोड़ की दंडात्मक गारंटी शुल्क शामिल है।

^^ Includes penal guarantee fee of ₹0.38 crore from NHPC pertaining to FY 2021-22.

^^^ प्राप्त किए गए कुल गारंटी शुल्क का मिलान ₹5.75 करोड़ के गारंटी शुल्क की राशि और डीएफसीसीआईएल से प्राप्त ₹119 करोड़ की गारंटी शुल्क की राशि से कर दिया गया है। यह नोट किया जाए कि एमएमआरडीए द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दिनांक 22.03.2024 को ₹66.50 करोड़ जमा किए गए थे, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एमएमआरडीए द्वारा कुल ₹72.25 करोड़ जमा किए गए हैं।

^^^ The total guarantee fee received has been tallied with the amount of guarantee fee received is ₹5.75 crore and the Guarantee fee amounting ₹119 crore received from DFCCIL. It is to be noted that ₹66.50 crore for the FY 2024-25 was deposited by MMRDA on 22.03.2024, total ₹72.25 crore is deposited by MMRDA for FY 2024-25.

^ प्राप्य और प्राप्य गारंटी शुल्क में अंतर (i) आईआईएफसी (यूके) में विनिमय दर में बदलाव (ii) एसआईडीबीआई के संबंध में ₹1.00 लाख का पूर्णांकन (iii) वर्ष 2023-24 से संबंधित ₹1.22 करोड़ और वर्ष 2025-26 से संबंधित ₹1.16 करोड़ को वित्त वर्ष 2024-25 में लेखाबद्ध किए जाने के कारण है।

^ Difference between Guarantee Fee receivable and received is due to (i) exchange rate variation in IIFC (UK) (ii) rounding off of ₹1 Lakh in respect of SIDBI and (iii) ₹1.22 crore pertaining to year 2023-24 and ₹1.16 crore pertaining to 2025-26 accounted for in FY 2024-25.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी
No. 4—GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										(करोड़ रुपए में) (In crore of rupees)
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS	204.42 (1)	199.85 (1)	4.57	133.00	—	—	71.42 (1)	0.50	0.50	—
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY	13986.72 (19)	^12143.34 (16)	^1843.38 (3)	3629.61	—	—	10357.11 (19)	108.36	*108.76	—
इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	277.01 (2)	277.01 (2)	—	^19.72	—	—	257.29 (2)	0.83	0.83	—
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS	678.91 (2)	663.89 (2)	15.02	110.58	—	—	568.33 (2)	7.97	7.97	—

रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS	10462.76 (3)	#9953.22 (3)	509.54	@669.62	—	—	9793.14 (3)	118.99	**118.99	—
विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS	21515 (11)	14627.48 (7)	\$6887.52 (4)	626.38	—	—	20888.62 (11)	***—	***—	—

* प्राप्य और प्राप्त के बीच के अंतर का कारण है।

* The difference between receivable and received is due to :-

i) पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ₹0.40 करोड़ अग्रिम गारंटी का भुगतान किया गया है।

ii) ₹0.40 crore advance guarantee payment has been made by Punjab National Bank.

^ विदेशी विनिमय दर में बदलाव/उतार-चढ़ाव के कारण जिसमें ₹0.92 करोड़ शामिल हैं।

^ Due to variation/fluctuation in foreign exchange rate which includes ₹0.92 crore.

शेष राशियों के पूर्णांकन के कारण अथ शेष को ₹9953.19 करोड़ से संशोधित करके ₹9953.22 करोड़ किया गया है।

The opening has been revised from ₹9953.19 crore to ₹9953.22 crore due to rounding off of balances.

@ वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान चुकाई गई राशि।

@ Amount repaid during FY 2024-25.

** आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 31.03.2024 के पत्र के अनुपालन में एनईएफटी के माध्यम से दिनांक 03.04.2024 को ₹114.87 का भुगतान किया गया और नए ऋण पर लागू ₹4.12 की अतिरिक्त धनराशि का भुगतान दिनांक 25.09.2024 को किया गया है।

** ₹114.87 crore paid on 03.04.2024 through NEFT in compliance of DEA's letter dated 31.03.2024 and the additional amount of ₹4.12 crore applicable on new loan has been paid on 25.09.2024.

^^ अंत शेष और अथ शेष में ₹1246.16 करोड़ के अंतर को वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय स्टेट बैंक को वितरित किया गया है, तथापि, इसे वित्त वर्ष के विवरण के अतिरिक्त कॉलम में रखा गया है।

^^ The difference between closing balance and opening balance of amount ₹1246.16 crore has not been disbursed to SBI in the FY 2023-24. However, the same was taken in addition column of statement for the FY 2023-24.

\$ वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विनिमय दर में बदलाव और मालदीव के संबंध में दो नई गारंटियों पिछले वर्ष की दो गारंटियों को जोड़ने के कारण।

\$ Due to exchange rate variation during FY 2024-25 and two new guarantees two previous year guarantees added in r/o Maldives.

*** विदेश मंत्रालय ने द्विपक्षीय प्रतिबद्धता के रूप में बंगलादेश, नेपाल और मालदीव को विकास सहायता परियोजनाओं के लिए रियायती दरों पर ऋण सहायता प्रदान की है। ऋण सहायता भारत सरकार द्वारा नामित संस्थानों जैसे एक्सिम बैंक आफ इंडिया के माध्यम से प्रदान की जाती है। प्राप्तकर्ता देश से चुक होने की स्थिति में एक्सिम बैंक को कुशन के रूप में गारंटी प्रदान की जाती है। इसलिए एक्सिम बैंक द्वारा ऋण सहायता के लिए कोई शुल्क या कमीशन नहीं लिया जाता क्योंकि उधार लेने वाली सरकार को रियायती दर पर वित्त सहायता प्रदान करने के लिए एक्सिम बैंक को गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

*** MEA has extended Lines of Credit to Bangladesh, Nepal and Maldives at a concessional rate as a bilateral commitment for development assistance projects in these countries. The LOCs are extended through a Government of India designated institution, namely Exim Bank of India. The guarantee is provided to Exim Bank as a cushion against the unlikely event of a default from the recipient government. Hence, no guarantee fee or commission is charged on Lines of Credit from the Exim Bank of India as the guarantee is given by the Government of India to Exim Bank to offer concessional finance to borrowing Government.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी
No. 4—GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		अन्य तात्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year		Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee		Other material details		
1	2	3	4	5	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	6	7	8	9	10	11
										प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	(करोड़ रुपए में) (In crore of rupees)

(iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों/दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों/निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के संबंध में बैंकों को दी गई प्रति—गारंटियाँ :-

(iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

— शून्य / NIL —

(v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों और देय राशियों/भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटियाँ:-

(v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

— शून्य / NIL —

- (vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:-
(vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

—शून्य / NIL —

- (vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :-
(vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries:-

—शून्य / NIL —

- (viii) कोई अन्य —
(viii) Any Other: —

—शून्य / NIL —

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.एस-1)
GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)
(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2024-25— के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—
(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2024-25: -

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(करोड़ रुपए में)
(In crore of rupees)

क्षेत्र – (i) – विद्युत
Sector - (i) - Power

वर्ग—(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:—

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

विद्युत मंत्रालय									
MINISTRY OF POWER	7000.00	7000.00	—	1320.00	—	—	5680.00	70.00	70.00
	(2)	(2)					(2)		

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class – (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	36269.97 (38)	33813.95 (38)	2456.02	4080.44	—	—	32189.53 (38)	408.53	408.53
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY	13986.72 (19)	12143.34 (16)	1843.38 (3)	3629.61	—	—	10357.11 (19)	108.36	108.76
कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL	560.19 (3)	547.36 (3)	12.83	37.12	—	—	523.07 (3)	4.67	4.67

क्षेत्र – (ii) – सहकारी समिति

Sector - (ii) - Co-operative

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

MINISTRY OF
AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

कृषि और किसान कल्याण विभाग

Department of
Agriculture and
Farmers Welfare

47000.00 (3)	39000.00 (2)	8000.00 (1)	2000.00 (1)	—	—	45000.00 (2)	—	—
-----------------	-----------------	----------------	----------------	---	---	-----------------	---	---

क्षेत्र – (iii) – सिंचाई

Sector - (iii) - Irrigation

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

— शून्य / NIL —

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—

(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2024-25 :—

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्त की गई Receivable
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
							10

(करोड़ रुपए में)

(In crore of rupees)

वर्ग — (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्दायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपकरणों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class — (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

आर्थिक कार्य विभाग

Department of Financial Services

21.81

21.81

—

21.81

—

—

—

—

—

क्षेत्र — (iv) — सड़क और परिवहन**Sector - (iv) - Road and Transport**

वर्ग—(ii) शेयर पूंजी की पुनर्दायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्दायगी के लिए दी गई गारंटियां:—

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions:—

— शून्य / NIL —

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS	10462.76 (3)	9953.22 (3)	509.54	669.62	—	—	9793.14 (3)	118.99	118.99
----------------------	-----------------	----------------	--------	--------	---	---	----------------	--------	--------

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION	15650.49 (4)	15426.66 (4)	223.83	—	—	—	15650.49 (4)	1.98	1.98
----------------------------	-----------------	-----------------	--------	---	---	---	-----------------	------	------

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT
AND HIGHWAYS

	204.42 (1)	199.85 (1)	4.57	133.00	—	—	71.42 (1)	0.50	0.50
--	---------------	---------------	------	--------	---	---	--------------	------	------

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

आर्थिक कार्य विभाग

Department of Economic Affairs	14725.99 (4)	13336.11 (3)	1389.88 (1)	4.94	—	—	14721.05 (4)	74.78	5.75
--------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	------	---	---	-----------------	-------	------

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF HOUSING AND
URBAN AFFAIRS

	678.91 (2)	663.89 (2)	15.02	110.58	—	—	568.33 (2)	7.97	7.97
--	---------------	---------------	-------	--------	---	---	---------------	------	------

(viii) कोई अन्य —

(viii) Any Other: —

— शून्य / NIL —

क्षेत्र — (v) — राज्य वित्तीय निगम

Sector - (v) - State Financial Corporations

— शून्य / NIL —

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी
GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.
(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—
(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2024-25 : —

मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(करोड़ रुपए में) (In crore of rupees)

क्षेत्र – (vi) – शहरी विकास और आवासन
Sector - (vi) - Urban Development and Housing

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF HOUSING AND
URBAN AFFAIRS

— — — — — — — — — —

क्षेत्र – (vii) – अन्य अवसंरचना
Sector - (vii) - Other Infrastructure

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class-(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

आर्थिक कार्य विभाग

Department of Economic Affairs	69.04	69.04	—	18.69	—	—	50.35	—	—
	(1)	(1)					(1)		

वित्तीय सेवाएं विभाग

Department of Financial Services	—	-20.50	20.50	—	—	—	—	—	—
----------------------------------	---	--------	-------	---	---	---	---	---	---

क्षेत्र – (viii) – कोई अन्य

Sector - (viii) - Any Other

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

MINISTRY OF

AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

कृषि और किसान कल्याण विभाग

Department of Agriculture and Farmers Welfare	1500.00	1500.00	—	1500.00	—	—	—	—	—
	(1)	(1)		(1)					

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

वाणिज्य विभाग

Department of Commerce	556.29	556.29	—	556.29	—	—	—	5.56	5.56
	(1)	(1)		(1)					

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी
GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.
(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—
(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2024-25:—

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	8	9	10
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	6000.00 (1)	6000.00 (1)	—	—	—	—	6000.00 (1)	—	—
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)	1381.00 (1)	1381.00 (1)	—	—	—	—	1381.00 (1)	8.29	8.29
रसायन और उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS औषध विभाग Department of Pharmaceuticals	39.00 (1)	39.00 (1)	—	39.00 (1)	—	—	—	100.56	—

(करोड़ रुपए में)
(In crore of rupees)

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

वित्तीय सेवाएँ विभाग

Department of Financial Services	11614.18 (11)	10835.42 (11)	778.76	8157.23 (9)	—	—	3456.95 (2)	61.67	59.96
----------------------------------	------------------	------------------	--------	----------------	---	---	----------------	-------	-------

वर्ग—(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियाँ:—

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

उपभोक्ता मामले, खाद्य और

सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

MINISTRY OF CONSUMER

AFFAIRS, FOOD AND

PUBLIC DISTRIBUTION

	36700.00 (5)	36700.00 (5)	—	—	—	—	36700.00 (5)	—	—
--	-----------------	-----------------	---	---	---	---	-----------------	---	---

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

AND INFORMATION TECHNOLOGY

दूरसंचार विभाग

Department of

Telecommunications

	45671.20 (10)	42483.66 (10)	3187.54	5705.29 (3)	1151.22	—	38814.69 (7)	391.33	169.76
--	------------------	------------------	---------	----------------	---------	---	-----------------	--------	--------

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

वित्तीय सेवाएँ विभाग

Department of Financial Services	20038.56 (24)	5116.36 (11)	14922.20 (13)	—	—	—	20038.56 (24)	22.61	22.66
----------------------------------	------------------	-----------------	------------------	---	---	---	------------------	-------	-------

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी
GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.
(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—
(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2024-25 :-

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year उन्मोचित Discharged	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee प्राप्त की गई
1	2	3	4	5	अननुमोचित Discharged	8	9
					Not Discharged		10
इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	277.01 (2)	277.01 (2)	—	19.72	—	257.29 (2)	0.83
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NATIONAL SMALL INDUSTRIES - CORPORATION LIMITED (NSIC)	46.84 (3)	45.36 (3)	1.48	3.48	—	43.36 (3)	0.17

(करोड़ रुपए में)
(In crore of rupees)

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि को क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class—(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc :-

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

वित्तीय सेवाएँ विभाग

Department of Financial Services	82462.72 (310)	73950.02 (268)	8512.70 (42)	7273.80 (37)	3919.25	—	71269.67 (273)	82.94	85.33
----------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	---------	---	-------------------	-------	-------

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL
AFFAIRS

	21515 (11)	14627.48 (7)	6887.52 (4)	626.38	—	—	20888.62 (11)	—	—
--	---------------	-----------------	----------------	--------	---	---	------------------	---	---

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)-जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)-Contd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण :-

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2024-25: -

- (i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।
- (ii) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statments	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(क) (a)		(ख) (b)		(ग) (c)	(घ) (d)	(ङ) (e)	(च) (f)	(छ) (g)
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण विभाग	#	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	हाँ	एमपीएस अनुभाग, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली	शून्य
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE Department of Agriculture and Farmers Welfare	#	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Yes	MPS Section, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare New Delhi	Nil

(करोड़ रुपए में)
(In crore of rupees)

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग Department of Revenue	#	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	—
वित्तीय सेवाएं विभाग Department of Financial Services	#	नहीं No	नहीं No	147.24	3456.95	लागू नहीं NA	हाँ संयुक्त सचिव (बजट) बजट प्रभाग, डीईए Joint Secretary (Budget), Budget Division, DEA	—	
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	#	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हाँ अवर सचिव (एफसीआई), कृषि भवन, नई दिल्ली	—	
MINISTRY OF CONSUMER, AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	#	No	NA	NA	NA	No	Yes in DDG US (FCI), Krishi Bhawan,	—	
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY									
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) Department of Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)	#	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	1381.00 (1)	शून्य Nil	शून्य Nil	आईआईसीसी डीपीआईआईटी IICC DPIIT	शून्य Nil
वाणिज्य विभाग Department of Commerce	#	लागू नहीं No	शून्य No	शून्य No	शून्य No	नहीं NIL	हाँ अवर सचिव (आईएफडी वाणिज्य विभाग) नई दिल्ली US, IFD, DoC New Delhi to E. D, IIPO Pragati Maidan New Delhi.	—	
रसायन और उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS									
औषध विभाग Department of Pharmaceuticals	#	नहीं No	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	हाँ Yes	लागू नहीं NA	—

वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा गारंटियों के मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो।
Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:—

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2024-25: -

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statements	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(क) (a)		(ख) (b)		(ग) (c)	(घ) (d)	(ङ) (e)	(च) (f)	(छ) (g)
									(करोड़ रुपए में) (In crore of rupees)

(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:—

(ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

वित्तीय सेवाएं विभाग

नहीं

नहीं

147.24

20038.56

लागू नहीं

हाँ संयुक्त सचिव (बजट)

बजट प्रभाग,

आर्थिक कार्य विभाग

Department of Financial Services

#

No

No

147.24

20038.56

NA

Yes

Joint Secretary

(Budget),

Budget Division,

DEA

—

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	# #	शून्य Nil	नहीं No	शून्य Nil	5680.00 5680.00	शून्य Nil	हाँ Yes	विद्युत मंत्रालय Ministry of Power	शून्य Nil
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	#	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ	अवर सचिव (एफसीआई)	—
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	#	No	NA	NA	NA	No	Yes in DDG	US (FCI)	—
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग	#	विभाग द्वारा ऐसी कोई निधि नहीं बनाई गई है			प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता	हाँ	संयुक्त सचिव (ए) उप महानिदेशक (पीएम) के अधीन कारखाना अनुभाग, दूरसंचार विभाग, संचार भवन	—
MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY Department of Telecommunications	#	No such fund created by the Deptt			Does not arise	Does not arise	Yes	Joint Secretary (A) Dy. Dir. General (PM), DoT, Sanchar Bhawan	—

वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो।
Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:—

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2024-25: -

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statments	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(क) (a)		(ख) (b)		(ग) (c)	(घ) (d)	(ङ) (e)	(च) (f)	(छ) (g)

(करोड़ रुपए में)

(In crore of rupees)

(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों विदेशी सरकारों, टेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियां:—

(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc.:—

नागर विमानन मंत्रालय	#	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	31.70	हाँ	हाँ	वित्त-1 अनुभाग, राजीव गांधी भवन, नागर विमानन मंत्रालय	—
MINISTRY OF CIVIL AVIATION	#	No	NA	NA	31.70	Yes	Yes	Finance-I Section, Rajiv Gandhi Bhawan, M/o Civil Aviation	—

कोयला मंत्रालय	#	369.21	शून्य	370.25	523.07	शून्य	हाँ	उप सचिव (आईएफडी) कोयला मंत्रालय	—	73
MINISTRY OF COAL	#	369.21	Nil	370.25	523.07	Nil	Yes	Dy.Secretary(IFD) M/o Coal	—	
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	#	शून्य	शून्य	शून्य	71.42	शून्य	हाँ	महानिदेशक (सड़क परिवहन और राजमार्ग), नई दिल्ली	शून्य	
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS	#	Nil	Nil	Nil	71.42	Nil	Yes	DG (RTH), New Delhi	Nil	
विद्युत मंत्रालय	#	शून्य	नहीं	शून्य	32189.53	शून्य	हाँ	विद्युत मंत्रालय	शून्य	
MINISTRY OF POWER	#	Nil	No	Nil	32189.53	Nil	Yes	Ministry of Power	Nil	
वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	#	हाँ 9442.69	हाँ	20387.36	14771.40	लागू नहीं	हाँ	संयुक्त सचिव(बजट) बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग	—	
MINISTRY OF FINANCE Department of Economic Affairs	#	Yes 9442.69	Yes	20387.36	14771.40	NA	Yes	Joint Secretary (Budget), Budget Division, DEA	—	
वित्तीय सेवाएं विभाग	#	शून्य	नहीं	147.24	71269.67	लागू नहीं	हाँ	संयुक्त सचिव (बजट) बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग	—	
Department of Financial Services	#	Nil	No	147.24	71269.67	N.A.	Yes	Joint Secretary (Budget), Budget Division, DEA	—	
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	#	शून्य	शून्य	शून्य	43.36	शून्य	नहीं	एनएसआईसी एमएसएमई	शून्य	
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NATIONAL SMALL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED (NSIC)	#	Nil	Nil	Nil	43.36	Nil	No	NSIC MSME	Nil	

वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो।
Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:—

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2024-25: -

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statments	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(क) (a)		(ख) (b)		(ग) (c)	(घ) (d)	(ङ) (e)	(च) (f)	(छ) (g)
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	#	नहीं	नही	नहीं	10357.11	नहीं	हाँ	एमएनआरई, ऊर्जा भवन, एसबीआई, पीएनबी और नाबार्ड	—
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY	#	No	No	No	10357.11	No	Yes	MNRE, Urja Bhawan SBI, PNB & NABARD	—

(करोड़ रुपए में)
(In crore of rupees)

इस्पात मंत्रालय	#	शून्य	शून्य	शून्य	257.29	नहीं	हाँ	संबंधित मंत्रालय में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का परियोजना अनुभाग	—
MINISTRY OF STEEL	#	Nil	Nil	Nil	257.29	No	Yes	Project Section of the concerned PSU in the Ministry	—
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	#	शून्य	नहीं	—	568.33	लागू नहीं	हाँ	एए (हुडको) एवं दिल्ली प्रभाग (एनसीआरपीबी)	—
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS	#	Nil	No	—	568.33	NA	Yes	AA(HUDCO) & Delhi Division (NCRPB)	—
विदेश मंत्रालय	#	नहीं	2287.62	लागू नहीं	20888.62	शून्य	नहीं	डीपीए-1, विदेश मंत्रालय	—
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS	#	No	2287.62	NA	20888.62	Nil	No	DPA-I, MEA	—

वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो।
 # Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.एस-1)–समाप्त

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)–Concl'd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:–

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2024-25: -

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statments	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(क) (a)		(ख) (b)		(ग) (c)	(घ) (d)	(ङ) (e)	(च) (f)	(छ) (g)
									(करोड़ रुपए में) (In crore of rupees)
रेल मंत्रालय	#	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	शून्य	लागू नहीं
MINISTRY OF RAILWAYS	#	NA	NA	NA	NA	NA	Yes	NIL	NA

(iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों/ दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों/निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में बैंकों को दी गई प्रति-गारंटियां: –

(iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

—शून्य—
-Nil-

- (v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों और देय राशियों/भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटियां:—
 (v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

—शून्य—
 -Nil-

- (vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :—
 (vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

—शून्य—
 -Nil-

- (vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां: —
 (vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries: —

—शून्य—
 -Nil-

- (viii) कोई अन्य :—
 (viii) Any Other : —

—शून्य—
 -Nil-

-
- # वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो।
 # Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.